

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

(लेखा एवं वित्त विभाग)

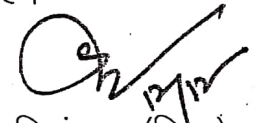
क्रमांक : लेएवंवि/वमखुवि/बिल/2019/1469

दिनांक : 12/12/2019

13

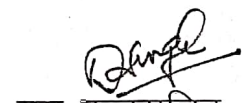
परिपत्र

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय में वर्तमान में राजस्थान चिकित्सा परिचर्या नियम, 2013 के नियमों के अन्तर्गत चिकित्सा दावों का पुनर्भरण किया जाता है। उपरोक्त परिपेक्ष्य में सभी सम्बन्धित को सूचित किया जाता है कि चूंकि राजस्थान सरकार द्वारा समय-समय पर अनुमोदित निजी चिकित्सालयों की सूची में परिवर्तन किया जाता रहता है। अतः चिकित्सा व्यय पुनर्भरण हेतु स्वयं के स्तर पर आश्वस्त हो लेवें कि जिस निजी चिकित्सालय में उपचार करवाया जा रहा है वह उपचार की अवधि में राजस्थान सरकार की राज्य कर्मचारियों के चिकित्सा व्यय पुनर्भरण हेतु अनुमोदित निजी चिकित्सालयों की सूची में है।


नियंत्रक (विस्त)

प्रतिलिपि:

- 1/ प्रभारी, ई.एम.पी.सी, वमखुवि को भेजकर लेख है कि इसे वि.वि वेबसाइट में अपलोड करवाने का श्रम करें।


उप कुलसचिव